संख्या : ——— / XV-I / 4(27) / 2018

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / पदेन अध्यक्ष, जिला एस०पी०सी०ए०,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2019।

विषय : ***Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017*** तथा ***Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018*** का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि *Dog Breeders* एवं *Pet Shops* द्वारा बहुधा पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण से सम्बन्धित अनेकों कानूनी प्राविधानों का उल्लंघन किया जाता है, जैसें विक्रय किये गये शिशुश्वान पशुओं के भुगतान की रसीद न देना, शिशुश्वान पशुओं को 8 हफ्ते की आयु से पहले ही बिना टीकाकरण कराये विक्रय कर देना, मादा श्वानपशुओं से वर्ष में दो बार गाभिन करवाना, आठ वर्ष से अधिक आयुवर्ग की मादा श्वानपशुओं को प्रजनन हेतु प्रयोग में लाना, स्वयं ही अवैद्य झोलाछाप डॉक्टर के रुप में औषधियों का पशुओं पर दुरुपयोग करना, अनधिकृत रूप से टीकाकरण करना, अनेकों प्रकार की कास्मेटिक शल्य क्रियायें करना, अवांछित एवं विक्रय न हो पाने वाले श्वानपशुओं / शिशुपशुओं को परित्यक्त करना, पशुओं की उचित चिकित्सा टीकाकरण न कराते हुए पशु रोगों तथा पशुजन्य मानव रोगों का प्रसार करना तथा अनेकों प्रकार की अवैद्य गतिविधियॉ आदि।

श्रीमती गौरी मौलेखी द्वारा *Dog Breeding and Marketing Rules, 2017* एवं *Pet Shops Rules, 2018* के अनुपालनार्थ मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में जनहित याचिकाऐं योजित की गई हैं, जिसमें सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड तथा समस्त जिलाधिकारियों (पदेन अध्यक्ष, जिला एस०पी०सी०ए०) को प्रतिवादी बनाया गया है। *Pet Shops Rules, 2018* के अनुपालन हेतु मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–213 / 2018 (गौरी मौलेखी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य) के संबंध में दिनांक 02.11.2018 को मा0 न्यायालय द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं तथा *Dog Breeding and Marketing Rules, 2017* के सन्दर्भ में जनहित याचिका संख्या–90 / 2018 मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है।

Kamal.letters

सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा *Dog Breeding and Marketing Rules, 2017* तथा *Pet Shop Rules, 2018* का अनुपालन किये जाने हेतु पूर्व में विभिन्न अनुस्मरण पत्र आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त के क्रम एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पुनः आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुलिस, प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त जांच दल के माध्यम से प्रत्येक तहसील अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण कर, जनपद के प्रत्येक डॉग ब्रीडर तथा पैट शॉप का उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का कष्ट करें तथा कानूनी प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या : 1095 / XV-I / 4(27) / 2018, तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि जनसामान्य के सूचनार्थ पशुपालन विभाग के राजकीय पशुचिकित्सालयों के माध्यम से समस्त पैट शॉप्स तथा डॉग ब्रीडिंग केन्द्रों के अनिवार्य पंजीकरण हेतु अपील–नोटिस प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को इस आशय से प्रेषित कि जनसामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से समस्त पैट शॉप्स तथा डॉग ब्रीडिंग केन्द्रों के अनिवार्य पंजीकरण हेतु अपील–नोटिस प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव